BULANDSHAHR POLICE

दिनाँक 17 नवम्बर, 2023 **CRACKDOWN BULANDSHAHR** **थाना ककोड़**

थाना ककोड़ व थाना चोला पुलिस की संयुक्त रुप से बाइक सवार बदमाशों से हुई मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में 02 बदमाश घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलाह, कारतूस व बाइक बरामद

जनपद मे तलाश वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 16/17-11-2023 की रात्रि में थाना ककोड़ पुलिस कस्बा ककोड़ से बुलन्दशहर की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित पैट्रोल पंप पर चैकिंग में मामूर थी तभी सामने से एक संदिग्ध वाइक तेजी से आती हुई दिखाई दी जिसको रूकने का इशारा किया गया तो बाइक सवार नहीं रूके व फायर करते हुए और तेजी से भागने लगे इसकी सूचना आरटी सैट द्वारा थाना चोला पुलिस को दी गई। प्राप्त सूचना पर थाना चोला पुलिस ककोड़ से चोला रोड पर फ्लाईओवर के पास चैकिंग करने लगी तभी ककोड़ की तरफ से एक बाइक तेजी से आती दिखाई दी जिसका पीछा ककोड़ पुलिस द्वारा किया जा रहा था, जिसको रोकने का इशारा किया गया तो बाइक सवार द्वारा बाइक को तेजी से फ्लाईओवर से कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ने का प्रयास किया गया तभी दोनों पुलिस टीम द्वारा खुद को घिरता देख बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने कि नियत से फायरिंग की गयी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में 02 बदमाश गोली लगने से घायल हुए, जिनको गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान 1.सौरभ पुत्र संजय निवासी ग्राम दयानतपुर थाना जेबर जनपद गौतमबुद्धनगर 2.रिषभ उर्फ मोनू पुत्र कुंवरपाल निवासी उपरोक्त के रुप में हुई हैं। घायल बदमाशों को उपचार हेतु सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस व एक बिना नम्बर की बाइक बरामद हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.सौरभ पुत्र संजय निवासी ग्राम दयानतपुर थाना जेबर जनपद गौतमबुद्धनगर।

2.रिषभ उर्फ मोनू पुत्र कुंवरपाल निवासी ग्राम दयानतपुर थाना जेबर जनपद गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी-

1- 01 स्पलेंडर प्लस मोटर साइकिल बिना नम्बर

2- 02 तमंचा 315 बोर, 05 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस

उल्लेखनीय है कि 04.11.2023 को थाना ककोड़ पर तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें वादी द्वारा बताया गया कि उनको एक अंजान नम्बर से कॉल आया व 50 लाख की फिरौती मांगी गई है न देने पर वादी व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ककोड़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं 258/23 धारा 386 भादवि पंजीकृत किया गया है। संदिग्ध नम्बर पर बुलन्दशहर पुलिस व थाना ककोड़ पुलिस संयुक्त रूप से कार्य कर रही थी। दिनांक 16.11.2023 को वादी के पास फिर से कॉल आया व फिरौती की मांग की गई। ककोड़ पुलिस द्वारा उस नम्बर पर लगातार काम किया जा रहा था। दिनांक 16/17.11.2023 की रात्रि को वादी के पास फिर से कॉल आया जिसमें कि वादी को ककोड़ कस्बे के पास पैट्रोल पंप पर पैसे लेकर आने के लिए बोला गया व पैसे न लाने पर वादी व वादी के परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। जिसकी सूचना वादी ने थाना ककोड़ पुलिस को दी। प्राप्त सूचना पर कार्यवाही करते हुए घेराबन्दी कर दोनो बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त रिषभ उर्फ मोनू का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0-173/2021 धारा 188/269/270 भादवि थाना इकोटेक-1 जनपद गौतमबुद्धनगर।

2- मु0अ0सं0-196/2021 धारा 379/411 भादवि थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर।

3- मु0अ0सं0 258/23 धारा 386 भादवि थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त सौरभ पुत्र संजय का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 258/23 धारा 386 भादवि थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना ककोड़ पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री यज्ञदत्त शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना ककोड़।
2. श्री अजीत सिंह थाना प्रभारी चोला।
3. उ0नि0 रमेश चन्द, उ0नि0 विपिन
4. है0का0 बलवीर, है0का0 जुगल किशोरस है0का0 चन्द्रवीर, का0 विवेक।

गिरफ्तार करने वाली स्वाट टीम-

1. मौ0 असलम प्रभारी निरीक्षक स्वाट टीम।
2. है0का0 मनोज दीक्षित, है0का0 अशोक यादव, है0का0 कपिल नैन, है0का0 नीरज त्यागी, है0का0 जितेश कुमार, है0का0 अशोक चौधरी, है0का0 प्रबली तोमर, है0का0 विशाल चौहान, है0का0 वसीम।

मीडिया सेल बुलंदशहर